



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) (RAILWAY BOARD)

Office Order No. 75 of 2024

Sub.: Cadre Controlling Authorities (CCAs) for Railway Services.

In supersession of Office Order No. 65 of 2020, Cadre Controlling Authority (CCA) in respect of the Eight Sub-Cadres of IRMS are as under:-

S.No.	Service/Services	Cadre Controlling authority (CCA)
1	IRMS-(Civil)	M/Infra
2	IRMS-(S&T)	
3	IRMS-(Traffic)	M/O&BD
4	IRMS-Mechanical)	M/TRS
5	IRMS-(Electrical)	
6	IRMS-(Stores)	
7	IRMS-(Accounts)	M/F
8	IRMS-(Personnel)	CRB&CEO through DG/HR

2. Further, CCA for IRHS and IRPFS are as under:

S.No.	Service/Services	CCA
9	IRHS	CRB&CEO through DG/RHS
10	IRPFS	CRB&CEO through DG/RPF

3. Members/DGs would be assisted by the Additional Member of the respective Cadre.

4. The above issues with the approval of Chairman & CEO, Railway Board.

No.2024/O&M/8/4

Dated: 27.12.2024


(T.Srinivas)
Joint Secretary/Railway Board
Email id: t.srinivas1@gov.in
Tele No.: 011-47845551

All Officers and Branches in Board's Office, COFMOW Building and at Dayabasti, New Delhi

Copy for information to:-

CRB, M/Infra, M/TRS, M/O&BD and MF
DG/RHS, DG/HR, DG/RPF and DG/Safety
EDPG/MR, EDPG/MoSR(R), JDPG/MoSR(S)

Copy to:-

General Manager, All Indian Railways/PUs & Equivalent,
DG/RDSO & DG/NAIR
CMD/MD-Railway PSUs and VC/RLDA

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

2024 का कार्यालय आदेश सं. 75

विषय: रेल सेवाओं हेतु संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी।

2020 के कार्यालय आदेश 65 के अधिक्रमण में, भारतीय रेल प्रबंधन सेवाओं के आठ उप-संवर्गों के संबंध में संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी (सीसीए) निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	सेवा/सेवाएं	संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण (सीसीए)
1.	भारतीय रेल प्रबंधन सेवा-(सिविल)	सदस्य/अवसंरचना
2.	भारतीय रेल प्रबंधन सेवा-(सिग्नल एवं दूरसंचार)	
3.	भारतीय रेल प्रबंधन सेवा-(यातायात)	सदस्य/परिचालन एवं व्यवसाय विकास
4.	भारतीय रेल प्रबंधन सेवा-(यांत्रिक)	सदस्य/कर्षण एवं चल स्टॉक
5.	भारतीय रेल प्रबंधन सेवा-(विद्युत)	
6.	भारतीय रेल प्रबंधन सेवा-(भण्डार)	
7.	भारतीय रेल प्रबंधन सेवा-(लेखा)	सदस्य/वित्त
8.	भारतीय रेल प्रबंधन सेवा-(कार्मिक)	महानिदेशक मानव संसाधन द्वारा अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

2. इसके अलावा, भारतीय रेल स्वास्थ्य सेवा और भारतीय रेल सुरक्षा बल सेवा के संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण निम्नानुसार हैं:-

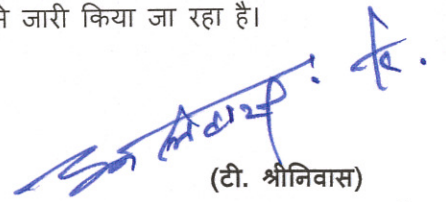
क्र.सं.	सेवा/सेवाएं	संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण (सीसीए)
9.	भारतीय रेल स्वास्थ्य सेवा	महानिदेशक रेल स्वास्थ्य सेवा द्वारा अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
10.	भारतीय रेल सुरक्षा बल सेवा	महानिदेशक रेल सुरक्षा बल सेवा द्वारा अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

3. सदस्य/महानिदेशकों की सहायता संबंधित संवर्ग के अपर सदस्य द्वारा की जाएगी।

4. उक्त को अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

सं. 2024/ओएंडएम/8/4

नई दिल्ली, दिनांक: 27.12.2024


(टी. श्रीनिवास)

संयुक्त सचिव/रेलवे बोर्ड
ई मेल:-t.srinivas1@gov.in
फोन नं- 011-47845551

बोर्ड कार्यालय, कॉफमो बिल्डिंग और दयाबस्ती, नई दिल्ली के सभी अधिकारी और शाखाएं।

प्रतिलिपि सूचनार्थः

अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रेलवे बोर्ड, सदस्य/अवसंरचना, सदस्य/कर्षण एवं चल स्टॉक, सदस्य/परिचालन एवं व्यवसाय विकास और सदस्य वित्त, महानिदेशक/रेल स्वास्थ्य सेवाएं, महानिदेशक/मानव संसाधन, महानिदेशक/रेल सुरक्षा बल और महानिदेशक/संरक्षा, कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल मंत्री, कार्यपालक निदेशक जन शिकायत रेल राज्य मंत्री (आर), संयुक्त निदेशक जन शिकायत/रेल राज्य मंत्री (एस)।

प्रतिलिपि प्रेषितः

महाप्रबंधक सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां एवं समतुल्य अधिकारी,
महानिदेशक अमासं, महानिदेशक भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी,
मुख्य प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और उपाध्यक्ष/रेल भूमि विकास प्राधिकरण।